मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, डिपोजिट–04 (बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट हेतु),ग्राम–भांसी के पास, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता–7.0 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

दिनांक 07/12/2015 का कार्यवाही विवरण।

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, डिपोजिट–04 (बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट हेतु),ग्राम–भांसी के पास, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता–7.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 07.12.2015 (07 दिसंबर 2015) दिन सोमवार पूर्वान्ह 11.30 बजे, स्थान–वन काष्ठागार, वन मण्डल दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, डिपोजिट–04 (बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट हेतु),ग्राम–भांसी के पास, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर माईन क्षमता–7.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर समाचार/नई दुनिया समाचार/नवभारत समाचार / हरिभूमि समाचार /पत्रिका समाचार/देशबंधु समाचार पत्र के अंक में दिनांक 05.11.2015 एवं 06.11.2015 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष 1. बेला भाटिया, स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्ता, 2. कलेक्टर महोदय जिला–दंतेवाड़ा के माध्यम से सरपंच ग्राम पंचायत धुरली, सचिव, बैलाडिला जन संघर्ष समिति एवं अन्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ है। लोक सुनवाई के दौरान 01 हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के **श्री एम. जयपाल रेड्डी (संयुक्त महाप्रबंधक पर्यावरण)** द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित उद्योग से उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :–

1. **श्री एनएसएस शेखर ग्राम–बचेली**–मानसून के दौरान वेट स्क्रीनिंग के दौरान उत्पन्न दूषित जल को साफ करने के लिए टेलिंग डेम की क्या व्यवस्था है? वेट स्क्रीनिंग के लिए टेलिंग डेम की व्यवस्था है या नहीं?

2. **दुखी राम, ग्राम–बचेली** – मैं 35 साल से एनएमडीसी में कार्य करता हूँ। अभी तक नौकरी परमानेंट नहीं हूँ। मुझे परमानेंट कोई भी नौकरी दी जाये।

3. **कु. सुनीता शर्मा,** बचेली – मेरा प्रष्न है कि एनएमडीसी में स्थानिय लोगों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता है? बाहरी को ही क्यों नौकरी देते हैं?

4. **रोहित, छत्तीसगढ़ बचाओं अंदोलन, रायपुर**– जल का सेम्पल कुएं से लिया गया है अथवा हैण्डपम्प (ग्राउण्ड वाटर) से लिया गया है जानकारी दें ।

   (उनके द्वारा बिन्दुवार षिकायत लिखित में भी दिया गया है।)

5. **मोहम्मद यासीन, ग्राम–बचेली** – मेरा एक सवाल था जब भांसी के पास प्लान्ट लगेगा तो भांसी के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ? और कहां के लोगों को रोजगार मिलेगा? छोटे पदों पर ही नहीं बडे पदो के लिए भी ट्रेनिंग/नौकरी के अवसर स्थानीय

लोगों को मिले। नौकरी में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय लोगों को प्रथामिकता मिले। बचेली में स्थानीय की अनदेखी की गई कौषल विकास से एल –1 का चयन नहीं हुआ । पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण भांसी में भी स्थानीयों के साथ पक्षपात तो नहीं होगा। प्लान्ट कब से शुरू हो रहा है? स्थानीयों को कोंचिग की क्या व्यवस्था होगी? ताकि प्लान्ट में निष्चित अनुपात में रोजगार मिलना चाहिए।

6. **सरस ग्राम–बचेली** – प्लान्ट कब से शुरू हो रहा है?

7. **श्रीमती मूड़े, ग्राम–बचेली** – मेरे बच्चे को छोटा मोटा काम मिले, हमारा कोई नही है।

8. **आषा बाई बचेली** – बच्चे पढ़े लिखे हैं। पर जमीन आदि नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए।

9. **स्वरूप हलदार, ग्राम– पातररास** – एनएमडीसी में छोटी मोटी नौकरी मिले।

10. एकलव्य, **ग्राम**–बचेली– बचेली में परियोजना से बहुत विकास हुआ वैसा विकास भांसी के पास होगा या नहीं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अप्रेंटिस को सुविधा/ प्राथमिकता मिलेगी या नहीं? उत्पादन कब शुरू होगा?

11. **यषवंत यादव**, ब्यूरो चीफ, देषबंधु दंतेवाड़ा – 7.0 मिलियन टन की इस परियोजना के लिए मेरा प्रष्न है कि लोकसुनवाई दंतेवाड़ा में आयोजित करने का कारण क्या है? लोक सुनवाई संबंधित क्षेत्र में आयोजित क्यों नही हुआ? सीएसआर के तहत बचेली किरंदुल का काफी विकास हुआ। क्या संबंधित क्षेत्र का वैसा ही विकास भी होगा? एवं कितना रोजगार मिलगा? रोजगार में स्थानीय को प्राथमिकता मिले।

12. **श्रीमती मीरा भास्कर, सरपंच ग्राम–भांसी** – देरी के लिए क्षमा मांगती हूँ। हमारा एक ठोक मुददा था कोषल विकास से भर्ती में हुई गडबडी की बात प्रबंधन द्वारा मानी गई । अब बचेली और किरंदुल से हटकर प्रोजेक्ट आया है तो मेरा अनुरोध है कि हमारे बच्चों का भी कुछ हो। बच्चे काफी पढें लिखे है। उनके लिए क्या किया जायेगा।

एक बार भांसी में भी ग्रामसभा होना चाहिए । अधिकारीयों से अनुरोध है। सहमति आसानी से नहीं दे सकते । बैठकर बात करनी होगी। बच्चों को चयन नहीं हो रहा है किसी न किसी कारण से उनका आवेदन निरस्त हो जाता है। 04 नं. प्लान्ट देना है कि नहीं सबको मिलकर सोचना चाहिए । आप लोग सब ग्रामीण तय कीजिए।

13. **सुकालु राम पालनार सरपंच,** – आज यहां लोकसुनवाई चल रहा है इसे रदृद करने का आवेदन किए गया । लोक सुनवाई का क्या मतलब है स्थानीय लोगों की राय ली जानी चाहिए इसके लिए उनको लोकसुनवाई की जानकारी दी जानी चाहिए थी। 30 दिन पहले सूचना क्यो नहीं दिया गया। किसी को जानकारी नहीं थी। 10 किमी परिधी में जानकारी देना चाहिए था। जन सुनवाई का मतलब लजोगों को जानकारी मिलनी चाहिए । किसी को जाकनारी नहीं थरी। पब्लिक नहीं आई । केवल एनएमडीसी के कर्मचारी ही दिख रहे हैं।

14. **राजू राम तामो ग्राम बडे कमेली** – एनएमडीसी पुनः 04 नं. प्लान्ट भांसी में खोल रहीह है। उससे आस पडोस के ग्राम में क्या असर होगा? आसपास के गांव वालों को क्या लाभ होगा। इसकी ग्यारंटी देते है। पहले भी कोई सुविधा नहीं दिया गया। जिन पंचायत पर असर होगा। वे यहां नहीं दिख रहे है। हमारे परिचित नही दिख रहे हैं। । लोकल 30 प्रतिषत भी नही है। सभी बाहरी नियुक्ति हुई है। छ.ग. में भी पढे लिखे हैं। झाडू का काम भी हमें नही देते । बाहरी बसे है। यहां आईटीआई आप ग्यारंटी देते हो। एल1 का सुनवाई नहीं हुआ है। फिर गाव वालों को क्या मिलेगा। हम भी प्लांट का समर्थन करते है। पर गाव वालों को भी कुछ मिलें

15. **महेष कुमार सिन्हा भांसी** – जैसे आप सभी को मालूम है कि भांसी में प्लान्ट खुल रहा है मेरा सुझााव है कि नौकरी मिले और सुविधा मिले। जब एनएमडीसी शुरू हुआ। तो स्थानीय ने ही मदद की। तब जो रिटायर हुए तो कुछ नही मिला। अब मिल रहा है। एनएमडीसी नौकरी से वंचित कर रही है। सिर्फ बाहरी को मिल रहा है। एक पीढी को नौकरी मिलेगी तो दूसरी पीढी को भी मिलना चाहिए । जैसा रेल्वे में सुविधा है।

16. **शैलेन्द्र ठाकुर, दंतेवाड़ा**–स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं होती क्योंकि हमारे पास पढ़ाई की तकनीकि सुविधा नहीं है। यदि यहां

इन्जीनियरींग की पढ़ाई नहीं होती तो उस पद पर नौकरी कैसे मिलेगी? जिन विषय विषेषज्ञ की आवष्यकता है उन्ही विषयों की पढ़ाई पॉलीटेक्निक में हो। दुर्भाग्य है कि इस विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराया गया, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 100 रही एवं उपस्थिति पत्रक में 83 लोगों ने हस्ताक्षर किया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा क्षेत्र का विकास किये जाने, षिक्षा, अस्पताल, सड़क, वृक्षारोपण आदि की शर्त के साथ प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय लोकसुनवाई सम्पन्न किया गया।

(डॉ. सुरेश चंद्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(श्री एस.आर. साहू)
अपर कलेक्टर,
जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)